रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252994
CG-DL-E-14032024-252994

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]	**नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945**
No. 178]	**NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2024

सा.का.नि. 191**(अ).—** केंद्रीय सरकार, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (छ viii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** . - (1) इन नियमों का सन्क्षिप्त नाम बन्दी हाथी (स्थानांतरण या परिवहन) नियम, 2024 है।

   (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा.-** (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) "अधिनियम" से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अभिप्रेत है;

   (ख) "दाता राज्य" से वह राज्य, जिसके अधिकार क्षेत्र से हाथी को स्थानांतरित किया जा रहा है अभिप्रेत है;

   (ग) "हाथी" से एक बन्दी हाथी अभिप्रेत है, जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 42 के अधीन स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया गया है;

   (घ) "हाथी सहायक" से महावत की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

   (ड.) "प्ररूप" से इन नियमों के परिशिष्ट में दिया गया प्ररूप अभिप्रेत है;

   (च) "महावत" से वह व्यक्ति जो हाथी का प्रबंधन करता है, अभिप्रेत है;

(छ) "मालिक" से वह व्यक्ति, जिसके पास अधिनियम की धारा 42 के अधीन हाथी के स्वामित्व के लिए जारी वैध प्रमाण पत्र है, अभिप्रेत है ;

(ज) "प्राप्तकर्ता राज्य" से वह राज्य, जिसके अधिकार क्षेत्र में हाथी का स्थानांतरण किया जाना है, अभिप्रेत है;

(झ) "पशु चिकित्सा व्यवसायी" से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः अधिनियम में दिया गया है।

3. **हाथी के स्थानांतरण के लिए आवेदन.-** हाथी के स्थानांतरण के लिए आवेदन प्ररूप 1 में, जिस क्षेत्र में वह हाथी पंजीकृत है, उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले उप वन संरक्षक की श्रेणी से अन्यून अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

4. **उप वन संरक्षक द्वारा जांच.-** (1) नियम 3 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, उप वन संरक्षक :-

(क) प्ररूप 2 में पशु चिकित्सा व्यवसायी का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा;

(ख) उस स्थान की विस्तृत जांच और भौतिक सत्यापन करेगा जहां वर्तमान में हाथी को रखा गया है और उस स्थान की भी जहां हाथी को रखे जाने का प्रस्ताव है, यदि प्रस्तावित स्थान उसके अधिकार क्षेत्र में स्थित है; और

(ग) प्ररूप 3 में आवेदन और रिपोर्ट को पशु चिकित्सा व्यवसायी की रिपोर्ट के साथ पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को अग्रेषित करेगा।

5. **राज्य के भीतर स्थानांतरण.-** (1) मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, रिपोर्ट की जांच के पश्चात सात दिनों की अवधि के भीतर एक लिखित आदेश द्वारा उस हाथी के स्थानांतरण को अस्वीकार कर सकता है या उसकी अनुमति दे सकता है, यदि ऐसे हाथी को नियम 3 के अधीन आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी की अधिकारिता के भीतर रखे जाने का प्रस्ताव है ।

(2) मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, नियम 4 के उप-नियम (1)(ग) के अनुसार प्राप्त आवेदन और रिपोर्ट को उस क्षेत्र, जहां हाथी को रखा जाना प्रस्तावित है और जो नियम 3 के अधीन सात दिनों की अवधि के भीतर आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी की अधिकारिता से बाहर है, पर अधिकारिता रखने वाले उप वन संरक्षक की श्रेणी से अन्यून अधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

(3) संबंधित उप वन संरक्षक उप-नियम (2) के अनुसार आवेदन और रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सुविधा की विस्तृत जांच और भौतिक सत्यापन करेगा और पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर प्ररूप 3 में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(4) मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक आवेदन और रिपोर्ट के परीक्षण के पश्चात, सात दिनों की अवधि के भीतर लिखित आदेश द्वारा स्थानांतरण को अस्वीकार कर सकता है या उसकी अनुमति दे सकता है।

6. **राज्य के बाहर स्थानांतरण.-** (1) दाता राज्य का मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, नियम 4 के उपनियम (1) के खंड (ग) के अनुसार प्राप्त रिपोर्ट के साथ आवेदन को पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर प्राप्तकर्ता राज्य के मुख्य वन्य जीवन प्रतिपालक को अग्रेषित करेगा।

(2) प्राप्तकर्ता राज्य का मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, सात दिनों की अवधि के भीतर आवेदन और रिपोर्ट को उस क्षेत्र, जहां हाथी को रखा जाएगा, पर अधिकारिता रखने वाले उप वन संरक्षक की श्रेणी से अन्यून अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(3) संबंधित उप वन संरक्षक, उप-नियम (2) के अनुसार आवेदन और रिपोर्ट प्राप्त होने पर सुविधा की विस्तृत जांच और भौतिक सत्यापन करेगा और प्ररूप 3 में पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(4) प्राप्तकर्ता राज्य का मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उप-नियम (3) के अनुसार रिपोर्टें प्राप्त होने के पश्चात, पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर प्ररूप 4 में दाता राज्य के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को अपनी

सिफारिशें अग्रेषित करेगा।

(5) दाता राज्य का मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, रिपोर्टों की जांच के पश्चात सात दिनों की अवधि के भीतर, लिखित आदेश द्वारा स्थानांतरण को अस्वीकार करेगा या उसकी अनुमति देगा।

(6) दाता राज्य का मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, प्राप्तकर्ता राज्य के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को स्थानांतरण की अस्वीकृति या अनुमति के आदेश की सूचना देगा।

7. **स्थानांतरण के लिए निबंधन और शर्तें.-** (1) मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, ऐसे स्थानांतरण की अनुमति देगा, जहां स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित हाथी के संबंध में, ऐसे हाथियों से पैदा हुए हाथी की दशा के सिवाय, स्वामित्व प्रमाण पत्र इन नियमों के प्रवृत होने से पूर्व विद्यमान था।

(2) हाथी के स्थानांतरण की अनुमति मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा दी जा सकती है, यदि:-

(क) मालिक अब हाथी का भरण-पोषण करने की स्थिति में नहीं है; या

(ख) हाथी की देखभाल वर्तमान परिस्थितियों से बेहतर होगी; या

(ग) मामले की परिस्थितियों में वह हाथी की बेहतर देखभाल के लिए उपयुक्त और उचित समझता हो।

(3) किसी हाथी के स्थानांतरण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिन्ग एप्लिकेशन में हाथी की आनुवंशिक प्रोफ़ाइल दर्ज नहीं की गई हो।

8. **हाथी के परिवहन के लिए आवेदन.-** (1) हाथी के परिवहन के लिए आवेदन प्ररूप 5 में उप वन संरक्षक की श्रेणी से अन्यून अधिकारी को किया जाएगा, जिसकी उस क्षेत्र पर अधिकारिता है जहां हाथी रजिस्ट्रीकृत है।

(2) संबंधित उप वन संरक्षक, आवेदन प्राप्त होने पर प्ररूप 2 में पशु चिकित्सा व्यवसायी की रिपोर्ट अभिप्राप्त करेगा और पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर पशु चिकित्सा व्यवसायी की रिपोर्ट के साथ प्ररूप 3 में अपनी सिफारिशें मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्रस्तुत करेगा।

(3) मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उप-नियम (2) के अनुसार आवेदन और रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्ररूप 6 में परिवहन परमिट जारी कर सकता है या लिखित आदेश द्वारा आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

(4) मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, परिवहन परमिट की एक प्रति निम्नलिखित को अग्रेषित करेगा:-

(क) राज्य के भीतर संबंधित उप वन संरक्षक जिसके अधिकारिता से हाथी का परिवहन किया जाना है; और

(ख) संबंधित मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक जिसके अधिकार क्षेत्र से हाथी का परिवहन किया जाना है।

9. **परिवहन के लिए शर्तें.-** (1) हाथी का परिवहन, जिसके संबंध में परिवहन परमिट जारी किया गया है, निम्नलिखित शर्तों के साथ होगा कि:-

(क) हाथी के साथ एक महावत और एक हाथी सहायक होगा;

(ख) किसी पशु चिकित्सा व्यवसायी से इस आशय का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है कि हाथी परिवहन के लिए योग्य है और उसमें आक्रमक स्थिति के लक्षण या संक्रामक या सांसर्गिक रोग का कोई लक्षण नहीं पाया गया है;

(ग) सांसर्गिक रोग की दशा में पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सलाह के अनुसार अनिवार्य संगरोध अवधि समाप्त होने के पश्चात परिवहन किया जाएगा;

(घ) हाथी को वाहन पर चढ़ाने से पहले ठीक से खाना खिलाया जाएगा और पानी पिलाया जाएगा;

(ङ.) रास्ते में हाथी को भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी;

(च) हाथियों की घबराहट या चिड़चिड़ेपन को नियंत्रित करने के लिए पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परामर्श पर प्रशांतक/शामक दवाओं का उपयोग किया जाएगा ।

10. **विधिमान्यता** - (1) हाथी का स्थानांतरण, अनुमति दिए जाने की तारीख से तीन मास से अनधिक अवधि के भीतर किया जाएगा।

(2) परिवहन परमिट की विधिमान्यता एक मास से अधिक नहीं होगी।

(3) स्थानांतरण या परिवहन परमिट के लिए अनुमति की विधिमान्यता की अवधि को बढ़ाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

11. **अपील.-** (1) मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की अस्वीकृति से व्यथित आवेदक, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक के आदेश के प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर, रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से एक लिखित कथन भेजकर अपील करने के कारणों को उचित ठहराते हुए, संबंधित राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के प्रशासनिक प्रमुख के समक्ष अपील कर सकता है।

(2) राज्य सरकार अपील प्राप्त होने के तीस दिन की अवधि के भीतर अपील पर समुचित आदेश पारित करेगी।

प्ररुप 1

[नियम 3 देखिए]

प्ररुप 1 हाथियों के स्थानांतरण के लिए आवेदन		
1.	आवेदक/मालिक का नाम	
2.	स्थायी पता	
3.	वर्तमान पता	
4.	हाथी के अधिग्रहण की तिथि	
5.	हाथी के वर्तमान मालिक का नाम	
6.	हाथी के मालिक का पता	
7.	हाथी की आवासन सुविधा का पता	
8.	हाथी का नाम (यदि लागू हो)	
9.	हाथी की माइक्रोचिप संख्या	
10.	हाथी की उम्र और लिंग	
11	क्या आवेदन राज्य के भीतर या राज्य के बाहर स्थानांतरण के लिए है	
12.	स्थानांतरण का स्थान	[जिला, राज्य का नाम] से [जिला, राज्य का नाम] को
13.	हाथी की अंतरती आवासन सुविधा का पता	
14.	स्थानांतरण का प्रयोजन	
15.	कोई अन्य ब्यौरा	
	वचनबंध मैं …………………[आवेदक का नाम] पुत्र या पुत्री या पत्नी………………[पिता का नाम या पति का नाम] एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया सम्पूर्ण विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और यदि उपर्युक्त कोई भी विवरण असत्य पाया जाता है, तो मेरा आवेदन रद्द कर दिया जाए।	

	मैं बन्दी हाथी (स्थानांतरण या परिवहन) नियम, 2024 में उल्लिखित सभी शर्तों का और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा अधिरोपित अन्य किसी भी शर्त का पालन करूंगा। तारीख: हस्ताक्षर स्थान: आवेदक का नाम : आवेदक का वर्तमान पता:

संलग्नकों की सूची:

- आवेदक और मालिक भिन्न होने की दशा में प्राधिकार पत्र
- वर्तमान स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रति
- वर्तमान मालिक/आवेदक के आधार कार्ड पते का प्रमाण की प्रति
- सोसायटी/कंपनी/बोर्ड आदि की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/निगमन प्रमाणपत्र।
- पशु चिकित्सा व्यवसायी से हाथी के स्वास्थ्य योग्यता का प्रमाण पत्र

प्ररुप 2

[नियम 4 का उप-नियम (1) (क) और नियम 8 का उप-नियम (2) देखिए]

प्ररुप 2 **पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रमाण पत्र**		
1.	परीक्षण की तिथि और समय	
2.	हाथी के वर्तमान मालिक का नाम	
3.	हाथी का नाम (यदि लागू हो)	
4.	हाथी की माइक्रोचिप संख्या	
5.	हाथी की उम्र और लिंग	
6.	हाथी की आवासन सुविधा का पता	
8.	अन्य कोई विवरण	
9.	सिफारिशें	
	वचनबंध मैं, डॉ.., पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के अधीन पशु चिकित्सा व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकृत, ने (तारीख) को उपरोक्त पशु की जांच की है और मैं प्रमाणित करता हूं कि उक्त पशु स्वस्थ्य/अस्वस्थ है। स्थान: हस्ताक्षर: तारीख: नाम एवं पता: वीसीआई रजिस्ट्रीकरण संख्या ईमेल: संपर्क संख्या:	

प्ररुप 3

[नियम 4 का उप-नियम (1) (ग), नियम 5 का उप-नियम (3), नियम 6 का उप-नियम (3) और नियम 8 का उप-नियम (2) देखिए]

प्ररुप 3 उप वन-संरक्षक की रिपोर्ट		
1.	आवेदक का नाम और पता	
2.	हाथी के वर्तमान मालिक का नाम और पता	
3.	हाथी का नाम (यदि लागू हो)	
4.	हाथी की माइक्रोचिप संख्या	
5.	हाथी की उम्र और लिंग	
6.	हाथी की आवासन सुविधा का पता और उसकी जीपीएस अवस्थिति	
7.	हाथी की अंतरिती आवासन सुविधा का पता, खंड और जिले के नाम सहित	
8.	उप वन-संरक्षक, जिसके क्षेत्र अधिकारिता में यह क्षेत्र आता हो, के द्वारा निरीक्षण किए जाने की तारीख	
9.	क्या हाथी की सभी स्वास्थ्य-जांच नियमित रूप से किये जाते हैं	
10.	क्या हाथी स्वस्थ है	
11.	अन्य कोई विवरण	
12.	सिफ़ारिशें	
	तारीख: हस्ताक्षर स्थान: अधिकारी का नाम: पदनाम: सेवा में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, पता…..	

प्ररुप 4

[नियम 6 का उपनियम (4) देखिए]

प्ररुप 4 प्राप्तकर्ता राज्य के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की सिफारिशें		
1.	आवेदक का नाम और पता	
2.	हाथी के वर्तमान मालिक का नाम और पता	
3.	हाथी का नाम (यदि लागू हो)	
4.	हाथी की माइक्रोचिप संख्या	
5.	हाथी की उम्र और लिंग	
6.	अंतरिती का नाम और पता	
7.	हाथी के अंतरिती आवासन सुविधा का पता, खंड और जिले के नाम सहित	
8.	जांच की तिथि (यदि किया गया हो)	
9.	सिफारिशें	
	तारीख: हस्ताक्षर स्थान: अधिकारी का नाम: पदनाम: सेवा में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक (दाता राज्य), पता…..	

संलग्नकों की सूची:

उप वन-संरक्षक, जिसकी क्षेत्र अधिकारिता में प्ररुप 3 के प्राप्तकर्ता राज्य में आने वाला क्षेत्र आता हो, की सिफ़ारिशें।

प्ररुप 5

[नियम 8 का उपनियम (1) देखिए]

प्ररुप 5

हाथियों के परिवहन के लिए आवेदन

1.	आवेदक/मालिक का नाम	
2.	स्थायी पता	
3.	वर्तमान पता	
4.	हाथी के अधिग्रहण की तिथि	
5.	हाथी के वर्तमान मालिक का नाम	
6.	हाथी के मालिक का पता	
7.	हाथी की आवासन सुविधा का पता	
8.	हाथी का नाम (यदि लागू हो)	
9.	हाथी की माइक्रोचिप संख्या	
10.	हाथी की उम्र और लिंग	
11.	क्या आवेदन राज्य के भीतर या राज्य के बाहर परिवहन के लिए है	
12.	परिवहन का स्थान	[जिला, राज्य का नाम] से [जिला, राज्य का नाम] को
13.	परिवहन का प्रयोजन	
14.	मूल आवासन सुविधा पर वापसी की प्रस्तावित तारीख (अस्थायी परिवहन की दशा में)	
15.	हाथी के साथ चल रहे महावत का नाम और पता	
16.	हाथी के साथ जाने वाले सहायक का नाम और पता	
17.	जिस स्थान पर हाथी को ले जाया जा रहा है उस स्थान पर महावत और सहायक का विवरण	
18.	अन्य कोई विवरण	

वचनबंध

मैं ....[आवेदक का नाम] पुत्र या पुत्री या पत्नी..................[पिता का नाम या पति का नाम] एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया सम्पूर्ण विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और यदि उपर्युक्त कोई भी विवरण असत्य पाया जाता है, तो मेरा आवेदन रद्द कर दिया जाए।

मैं बन्दी हाथी (स्थानांतरण या परिवहन) नियम, 2024 में उल्लिखित सभी शर्तों और मुख्य वन्य जीव

	प्रतिपालक द्वारा अधिरोपित अन्य किसी भी शर्त का पालन करूंगा। तारीख: हस्ताक्षर स्थान: आवेदक का नाम: आवेदक का वर्तमान पता:

संलग्नकों की सूची:

- आवेदक और मालिक भिन्न होने की दशा में प्राधिकार पत्र
- वर्तमान स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रति
- वर्तमान मालिक/आवेदक के आधार कार्ड पते का प्रमाण की प्रति
- सोसायटी/कंपनी/बोर्ड आदि की दशा में पंजीकरण प्रमाणपत्र/निगमन प्रमाणपत्र।
- पशु चिकित्सा व्यवसायी से हाथी के स्वास्थ्य योग्यता का प्रमाण पत्र
- महावत और सहायक के आधार कार्ड की प्रति।

प्ररुप 6

[नियम 8 का उपनियम (3) देखिए]

प्ररुप 6

हाथी के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा जारी किया गया परिवहन परमिट

1.	आवेदक का नाम	
2.	हाथी के वर्तमान मालिक का नाम	
3.	हाथी का नाम (यदि लागू हो)	
4.	हाथी की माइक्रोचिप संख्या	
5.	हाथी की उम्र और लिंग	
6.	हाथी की आवासन सुविधा का पता	
7.	परिवहन की अनुमति	• [तारीख] से [तारीख] तक • [जिला, राज्य का नाम] से [जिला, राज्य का नाम] को
8.	अन्य कोई विवरण	
9.	सिफारिशें	

परिवहन के लिए शर्तें:

1. जिस हाथी के लिए परिवहन परमिट दिया गया है, उसके साथ एक महावत और एक हाथी सहायक होगा।
2. किसी पशु चिकित्सा व्यवसायी से इस आशय का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए कि यथास्थिति हाथी सड़क या रेल मार्ग, से यात्रा करने के लिए स्वस्थ है और उसमें आक्रमक स्थिति के लक्षण या संक्रामक या सांसर्गिक रोग का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है ;
3. वाहन पर चढ़ाये जाने से पहले हाथी को ठीक से खाना खिलाया जाएगा और पानी दिया जाएगा;
4. मार्ग में हाथी के लिए भोजन और पानी की आवश्यक व्यवस्था की जाएगी;
5. यदि आवश्यक हो, तो घबराने वाले या गुस्सैल हाथियों को नियंत्रित करने के लिए शामक औषधियों का उपयोग केवल पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा विहित के अनुसार ही किया जाएगा।
6. अन्य कोई शर्तें (विनिर्दिष्ट करें)

तारीख: हस्ताक्षर

स्थान:

अधिकारी का नाम: अधिकारी का पदनाम:

सेवा में,

आवेदक का नाम और पता

प्रति:

1. उप वन-संरक्षक, जिसकी क्षेत्र अधिकारिता में वह क्षेत्र आता है, जहां हाथी रजिस्ट्रीकृत है।
2. उप वन-संरक्षक, जिसकी क्षेत्र अधिकारिता में वह क्षेत्र आता है, जिससे होकर हाथी का परिवहन किया जाना हो।
3. अंतरराज्यीय परिवहन की दशा में सभी राज्यों के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक।

[फा. सं. डबल्यूएल-1/2/2023-डबल्यूएल]

सुशील कुमार अवस्थी, अपर वन महानिदेशक और निदेशक, वन्य जीव परिरक्षण

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2024

G.S.R. 191(E).— In exercise of the powers conferred by clause (gviii) of sub- section (1) of Section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement**. – (1) These rules may be called the Captive Elephant (Transfer or Transport) Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition .-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
(a) "Act" means the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);
(b) "donor State" means a State from whose jurisdiction the elephant is going to be transferred;
(c) "elephant" means a captive elephant in respect of which an ownership certificate has been issued under Section 42 of the Act;
(d) "elephant assistant" means a person engaged to assist the Mahout;
(e) "Form" means form appended to these rules;
(f) "mahout" means the person who manages the elephant;
(g) "owner" means a person having a valid certificate of ownership for the elephant issued under section 42 of the Act;
(h) "recipient State" means a State in whose jurisdiction the transfer of elephant is going to be transferred;
(i) "veterinary practitioner" means a person registered with the Veterinary Council of India established under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);
(2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Application for Transfer of Elephant .–** An application for transfer of elephant shall be made in Form I to the officer not below the rank of Deputy Conservator of Forests having jurisdiction over the area where the elephant is registered.

4. **Inquiry by the Deputy Conservator of Forests.-**(1) On receipt of the application under rule 3, the Deputy Conservator of Forests shall:-
(a) obtain a certificate of a veterinary practitioner in Form II;

(b) conduct a detailed inquiry and physical verification of the facility where the elephant is presently housed and also the facility where the elephant is proposed to be housed in case the facility is located within his jurisdiction; and

(c) forward the application and report in Form III along with the report of veterinary practitioner within a period of fifteen days to the Chief Wild Life Warden.

5. **Transfer within the State.-**(1)The Chief Wild Life Warden after examination of reports may, within a period of seven days by an order in writing reject or permit the transfer of the elephant, if such elephant is proposed to be housed within the jurisdiction of the officer receiving the application under rule 3.

(2) The Chief Wild Life Warden shall forward the application and the reports received as per sub-rule (1)(c) of rule 4 to the officer not below the rank of Deputy Conservator of Forests having jurisdiction over the area where the elephant is proposed to be housed and is outside the jurisdiction of the officer receiving the application under rule 3, within a period of seven days.
(3) The concerned Deputy Conservator of Forests shall on receipt of the application and the reports in accordance with sub-rule (2) conduct a detailed inquiry and physical verification of the facility and submit report in Form III within a period of fifteen days to the Chief Wild Life Warden.
(4) The Chief Wild Life Warden after examination of the application and the reports may, within a period of seven days by an order in writing reject or permit the transfer.

6. **Transfer outside State.-** (1) The Chief Wild Life Warden of the donor State shall forward the application along with the reports received as per (c) of sub-rule (1) of rule 4 within a period of fifteen days to the Chief Wild Life Warden of the recipient State.
(2) The Chief Wild Life Warden of the recipient State shall within a period of seven days forward the application and the reports to the officer not below the rank of Deputy Conservator of Forests having jurisdiction over the area where the elephant is going to be housed.
(3) The concerned Deputy Conservator of Forests shall on receipt of the application and reports in

accordance with sub-rule (2) conduct a detailed inquiry and physical verification of the facility and submit report within a period of fifteen days in Form III to the Chief Wild Life Warden.

(4) The Chief Wild Life Warden of the recipient State after receipt of the reports as per sub-rule (3) shall forward his recommendations to the Chief Wild Life Warden of the donor State in Form IV within a period of fifteen days.

(5) The Chief Wild Life Warden of the donor State after examination of the reports shall, within a period of seven days by an order in writing reject or permit the transfer.

(6) The Chief Wild Life Warden of the donor State shall intimate the order of rejection or permission of transfer to the Chief Wild Life Warden of the recipient State.

7. **Terms and Conditions for transfer.-** (1) The Chief Wild Life Warden shall permit the transfer where the ownership certificate in respect of the elephant proposed for transfer existed prior to coming into force of these rules except in case of elephant borne from such elephants.

(2) The transfer of the elephant may be permitted by the Chief Wild Life Warden, in case:-

(a) the owner is no longer in a position to maintain the elephant; or
(b) the elephant will have a better upkeep than in the present circumstances; or
(c) he deems it fit and proper in the circumstances of the case for better upkeep of the elephant.

(3) No transfer of an elephant shall be permissible unless genetic profile of the elephant has been entered in the electronic monitoring application of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

8. **Application for Transport of elephant .-** (1) An application for transport of an elephant shall be made in Form V to the officer not below the rank of the Deputy Conservator of Forests having jurisdiction over the area where the elephant is registered.

(2) The concerned Deputy Conservator of Forests shall, on receipt of the application obtain a report of a veterinary practitioner in Form II and submit his recommendations in Form III along with the report of veterinary practitioner within a period of fifteen days to the Chief Wild Life Warden**.**

(3) The Chief Wild Life Warden may, on receipt of the application and reports in accordance with sub-rule (2), issue a transport permit in Form VI or reject the application by an order in writing.

(4) The Chief Wild Life Warden shall forward a copy of the transport permit to:-

(a) the concerned Deputy Conservator of Forests within the state through whose jurisdiction the elephant is to be transported; and

(b) the concerned Chief Wild Life Warden through whose jurisdiction the elephant is to be transported.

9. **Conditions for transport.-** (1) The transport of the elephant in respect of which a transport permit has been issued shall be with the following conditions that:-

(a) the elephant shall be accompanied by a mahout and an elephant assistant;

(b) a health certificate from a veterinary practitioner to the effect that the elephant is fit for transport and is not showing any sign of musth or infectious or contagious disease, is obtained;

(c) the transport shall be carried out after the mandatory quarantine period as advised by the veterinary practitioner r is over, in case of contagious disease;

(d) the elephant shall be properly fed and given water before loading;

(e) necessary arrangements shall be made for providing food and water to the elephant en route;

(f) tranquilisers/sedatives shall be used to control nervous or temperamental elephants upon prescription by the veterinary practioner.

10. **Validity**.- (1) The transfer of the elephant shall be effected within a period not exceeding three months from the date of grant of permission.

(2) The validity of the transport permit shall not be more than one month.

(3) No extension of validity of permission for transfer or transport permit shall be granted.

11. **Appeal .-** (1) An applicant aggrieved by the refusal of the Chief Wild Life Warden may prefer an appeal to the administrative Head of the State Forest Department of the concerned State Government within a period of sixty days from the date of receipt of the orders of the Chief Wild Life Warden by a written statement sent through registered post justifying reasons for preferring an appeal.

(2) The State Government shall pass appropriate orders on the appeal within a period of thirty days of receipt of the appeal.

Form I
[See rule 3]

Form I Application for transfer of Elephants		
1.	Name of the applicant / owner	
2.	Permanent Address	
3.	Present Address	
4.	Date of acquisition of Elephant	
5.	Name of the present owner of Elephant	
6.	Address of the owner of the Elephant	
7.	Address of the housing facility of the Elephant	
8.	Name of the Elephant (if applicable)	
9.	Microchip number of the Elephant	
10.	Age and sex of the Elephant	
11.	Whether applying for transfer within or outside state	
12.	Place of transfer	From [name of the District, State] To [Name of the District, State]
13.	Address of the transferee housing facility of the Elephant	
14.	Purpose of transfer	
15.	Any other detail	

Undertaking

I …………………[name of the applicant] Son or Daughter or Wife of ……………….[Father's name or Husband's Name] hereby declare that all the particulars furnished by me are true to the best of my knowledge and any detail furnished above, if found to be false, shall make my application liable for rejection.

I shall abide by all the conditions mentioned in the Captive Elephant (Transfer or Transport) Rules, 2024 and any other condition that may be imposed by the Chief Wild Life Warden.

Date:
Place:

Signature

Name of the Applicant:
Present Address of the Applicant:

List of enclosures:

1. Authorisation letter in case the applicant and owner are different
2. Copy of the present ownership certificate
3. Copy of the Aadhar Card/ Address proof of the present Owner/ Applicant
4. Registration Certificate/Certificate of incorporation in case of a Society/Company/Board etc.
5. Certificate of fitness of the Elephant from the veterinary doctor

Form II
[See sub-rules (1) (a) of Rule 4 and sub-rule (2) of rule 8]

Form II Certificate by the Veterinary practitioner		
1.	Date and Time of Examination	
2.	Name of the present owner of Elephant	
3.	Name of the Elephant (if applicable)	
4.	Microchip number of the Elephant	
5.	Age and sex of the Elephant	
6.	Address of the housing facility of the Elephant	
8.	Any other detail	
9.	Recommendations	
	Undertaking I, Dr……………………………………., registered as a veterinary practitioner under the Veterinary Council Act, 1984, examined the above described animal on (date)………… and certify that the animal is sound/ unsound in health. Place: Signature: Date: Name & Address: VCI Registration No. Email: Contact No:	

Form III
[See sub-rule (1)(c) of rule 4, sub-rule (3) of rule 5, sub-rule (3) of rule 6 and sub-rule (2) of rule 8]

Form III Report of the Deputy Conservator of Forests		
1.	Name and address of the Applicant	
2.	Name and address of the present owner of Elephant	
3.	Name of the Elephant (if applicable)	
4.	Microchip number of the Elephant	
5.	Age and sex of the Elephant	
6.	Address and GPS location of the housing facility of the Elephant	
7.	Address of the transferee housing facility of the Elephant along with name of Division and District	
8.	Date of Inspection by the Deputy Conservator of Forests having territorial jurisdiction over the area	
9.	Whether all the health check up of the elephant carried out regularly	
10.	Whether the elephant is fit	
11.	Any other detail	
12.	Recommendations	
	Date: Signature Place: Name of the Officer: Designation: To The Chief Wild Life Warden, Address…..	

Form IV
[See sub-rule (4) of rule 6]

Form IV **Recommendations of the Chief Wild Life Warden of the recipient State**		
1.	Name and address of the Applicant	
2.	Name and address of the present owner of Elephant	
3.	Name of the Elephant (if applicable)	
4.	Microchip number of the Elephant	
5.	Age and sex of the Elephant	
6.	Name and address of the transferee	
7.	Address of the transferee housing facility of the Elephant along with name of Division and District	
8.	Date of Inspection (if carried out)	
9.	Recommendations	
	Date: Signature Place: Name of the Officer: Designation: To The Chief Wild Life Warden (Donor State), Address…..	

List of enclosures:
Recommendations of the Deputy Conservator of Forests having territorial jurisdiction over the area in recipient State in Form III.

Form V
[See sub-rule (1) of rule 8]

Form V Application for transport of Elephant(s)		
1.	Name of the Applicant / Owner	
2.	Permanent Address	
3.	Present Address	
4.	Date of acquisition of Elephant	
5.	Name of the present owner of Elephant	
6.	Address of the owner of the Elephant	
7.	Address of the housing facility of the Elephant	
8.	Name of the Elephant (if applicable)	
9.	Microchip number of the Elephant	
10.	Age and sex of the Elephant	
11.	Whether applying for transport within or outside State	
12.	Place of transport	From [name of the District, State] To [Name of the District, State]
13.	Purpose of transport	
14.	Proposed date of return to original housing facility (in case of temporary transportation)	
15.	Name and address of Mahout accompanying the Elephant	
16.	Name and address of Assistant accompanying the Elephant	
17.	Details of Mahout and Assistant at the place where the elephant is being transported	
18.	Any other detail	

Undertaking

I …………………[name of the applicant] Son or Daughter or Wife of ………………….[Father's name or Husband's Name] hereby declare that all the particulars furnished by me are true to the best of my knowledge and any detail furnished above, if found to be false, shall make my application liable for rejection.

I shall abide by all the conditions mentioned in the Captive Elephant (Transfer or Transport) Rules, 2024 and any other condition that may be imposed by the Chief Wild Life Warden.

Date: Signature
Place:

Name of the Applicant: Present Address of the Applicant:

List of enclosures:

1. Authorisation letter in case the applicant and owner are different.
2. Copy of the present ownership certificate.
3. Copy of the Aadhar Card/ Address proof of the present Owner/ Applicant.
4. Registration Certificate/Certificate of incorporation in case of a Society/Company/Board etc.
5. Certificate of fitness of the Elephant from the veterinary practitioner.
6. Copy of adhaar card of Mahout and Assistant.

Form VI
[See sub-rule (3) of rule 8]

Form VI
Transport Permit for Elephant issued by the Chief Wild Life Warden

1.	Name of the Applicant	
2.	Name of the present owner of Elephant	
3.	Name of the Elephant (if applicable)	
4.	Microchip number of the Elephant	
5.	Age and sex of the Elephant	
6.	Address of the housing facility of the Elephant	
7.	Transport permitted	a. From [date] to [date] b. From [name of District, State] To [name of District, State]
8.	Any other detail	
9.	Recommendations	

Conditions for transport:

1. The elephant for which a transport permit has been granted shall be accompanied by a mahout and an elephant assistant.
2. A health certificate from a veterinary doctor to the effect that the elephant is fit to travel by road or rail, as the case may be, and is not showing any sign of *musth*or infectious or contagious disease shall be obtained in**;**
3. The elephant shall be properly fed and given water before loading;
4. Necessary arrangements shall be made for feeding and watering the elephant on route;
5. Sedatives, if necessary, shall be used to control nervous or temperamental elephants only as prescribed by the veterinary practitioner.
6. Any other conditions (to be specified)

Date:
Place:

Signature

Name of the Officer:
Designation of Officer:

To,
The Name and Address of the Applicant

Copy to:
1. The Deputy Conservator of Forests having territorial jurisdiction over the area in which the elephant is registered.
2. The Deputy Conservator of Forests having territorial jurisdiction over the area through which the elephant is going to be transported.
3. The Chief Wild Life Wardens of all the states in case of inter-state transport.

[F. No. WL-1/2/2023-WL]

SUSHIL KUMAR AWASTHI, Addl. Director General of Forests and Director, Wild Life Preservation

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.14 18:34:14 +05'30'